

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 07/2016

**प्रार्थीगण—**

- 1 (अ) बाबूलाल ललवाणी पुत्र जसराज  
(ब) सुरेशकुमार ललवाणी पुत्र जसराज
  - 2 (अ) जवाहरलाल ललवाणी पुत्र घेवरचंद  
(ब) वीरचन्द ललवाणी पुत्र छगनलाल
- सभी जाति ओसवाल निवासी प्रेमनगर पोस्ट  
सिवाना तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

**बनाम**

**अप्रार्थीगण—**

- 1 ग्राम पंचायत सिवाना मार्फत  
सरपंच ग्राम पंचायत सिवाना
2. अरविन्दकुमार पुत्र बाबूलाल  
उर्फ हीरालाल जाति जैन  
निवासी प्रेमनगर पोस्ट सिवाना  
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज  
अधिनियम, 1994 विरुद्ध भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) संख्या 41  
दिनांक 20.07.2009 जो सरपंच, ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा  
अप्रार्थी सं. 2 के नाम जारी किया गया।

उपस्थिति :-

1. श्री पुरुषोत्तम सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री पुरुषोत्तम सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

**निर्णय**

दिनांक : 01.09.2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि  
अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान  
पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम सिवाना के  
मौहल्ला प्रेमनगर में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख  
आवासीय भूमि का पट्टा सं. 41 दिनांक 20.07.2009 जारी किया गया। इस  
भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार



*low*  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

कुल 88.88 वर्गगज दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं. 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जिस भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करवाया गया है वह जयन्तीलाल पुत्र छोगालाल जाति ओसवाल निवासी सिवाना के पट्टाशुदा व्यवसायिक भूखण्ड का भाग है। अप्रार्थी सं. 2 के दादा सूरजकरण पुत्र किशनलाल उक्त भूखण्ड में बतौर किरायेदार उपभोग कर रहे थे तथा जायदाद के मालिक जयन्तीलाल को इसका माहवारी किराया अदा करते आ रहे थे। उक्त जयन्तीलाल ने उक्त भूखण्ड के 1/2 हिस्से का बेचान प्रार्थीगण सं. 1(अ) व 1(ब) के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बेचान-पत्र दिनांक 12.12.1985 को कर दिया तथा इसके शेष 1/2 हिस्से का बेचान प्रार्थी सं. 2(अ) व 2(ब) को जरिये रजिस्टर्ड बेचान-पत्र दिनांक 12.12.1985 को कर दिया था। प्रार्थीगण से पूर्व इस भूखण्ड के हितधारी जयन्तीलाल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के दादा सूरजकरण पर किराया परिसर का कब्जा एवं बकाया किराया प्राप्त करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद भी दायर किये थे जिसमें सूरजकरण द्वारा किराया राशि न्यायालय में जमा कराई जाकर भुगतान किया गया। अप्रार्थी सं. 2 के दादा सूरजकरण के फोट होने पर उनके उत्तराधिकारी बाबूलाल उर्फ हीरालाल व पत्नी लिखमीदेवी से किराये की ताकीद की गई, किन्तु उनके द्वारा टालमटोल कर कोई माकूल जवाब नहीं दिया गया। इसके पश्चात प्रार्थीगण



द्वारा ग्राम पंचायत सिवाना में पूछताछ एवं जानकारी करने पर दिनांक 23.12.2015 को ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी सं. 2 ने गलत तथ्य एवं फर्जी कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत सिवाना से आलौच्य पट्टा सं. 41 दिनांक 20.07.2009 को जारी करवा दिया है। ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा उक्त आलौच्य पट्टा जारी करने में भारी विधिक एवं वाक्याती अनियमितता की गई है जिसके आधार पर उक्त पट्टा निरस्त योग्य है।

3. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पिता एवं दादा विवादित भूखण्ड के किरायेदार की हैसियत से उपभोग कर रहे थे तथा समय-समय पर किराया अदा किया गया है तथा इस तथ्य को उन्होंने सिविल न्यायालयों में विचारित वादों में स्वीकार किया है। राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 के अन्तर्गत आबादी भूमि पर 50 वर्ष पूर्व बने पुराने गृह जिनके पट्टे बने हुए नहीं हो, उनके ही पट्टे जारी किये जा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का हुकमत (हाकिम) सिवाना द्वारा मिसल नम्बर 50/51-52 में दिनांक 20.10.1951 के पट्टा नम्बर 47/51-52 जारी किया हुआ था जिसके अस्तित्व में रहते हुए ग्राम पंचायत द्वारा उसी भूमि पर पुनः आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया गया है जबकि यह भूखण्ड व्यवसायिक है जिसमें आवासीय प्रयोजनार्थ नियमितीकरण नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में आवेदक के शपथ-पत्र में न तो आवेदक की उम्र दर्ज है तथा न उसका कितने वर्ष पुराना कब्जा होने के बारे में कोई कथन है। आवेदक द्वारा अपने स्वयं व श्री मदरूपचन्द सुराणा एवं श्री वीरमाराम के असत्य कथनों युक्त फर्जी एवं कूटरचित शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 05.07.1995 को आवेदक द्वारा न तो नियम 145 के अन्तर्गत आवेदन शुल्क एवं मौका निरीक्षण शुल्क जमा कराई है तथा न ही



इस निस्वत नियम 230 के अन्तर्गत कोई रसीद जारी हुई है। ग्राम पंचायत सिवाना के सचिव द्वारा नियम 146 के अन्तर्गत ऐसे किसी आवेदन को निर्धारित प्ररूप के रजिस्टर में भी इन्द्राज नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा जिस तिथी को आवेदन प्रस्तुत करना उल्लेखित किया गया है उस दिनांक को वह अवयस्क था इस कारण अप्रार्थी सं. 1 के साथ मिलकर सारी कार्यवाही पट्टा जारी करने की दिनांक को पुरानी तिथियों में की गई है। ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि समस्त आज्ञाओं को एक साथ एक ही दिन कम्प्युटर पर मुद्रित किया गया है जिसमें ग्राम सचिव के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं तथा सरपंच के हस्ताक्षर के साथ मोहर अंकित नहीं की गई है। ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन-पत्र दिनांक 05.07.1995 को प्रस्तुत होने के बाद सीधे ही दिनांक 20.06.2009 को आदेशिका लिखी गई है जो करीब 09 वर्ष की लम्बी समयवाधि होने से कार्यवाही फर्जी एवं सन्देहास्पद प्रतीत होती है। पत्रावली की आज्ञाओं की तारीख अंकित नहीं हैं तथा न ही ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक उल्लेखित की गई है कि कौनसी तिथी को इस बाबत पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया गया है। आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित किये जाने बाबत नोटिस भी विधिवत रूप से जारी एवं प्रकाशित नहीं कराया गया है। ग्राम पंचायत की ओर आवेदित भूखण्ड की मौका जांच हेतु कमेटी द्वारा निरीक्षण कर आवेदक का कब्जा 50-60 वर्ष होना आदेशिका में उल्लेखित किया है जबकि मौका निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसा कोई कथन अथवा तथ्य दर्ज नहीं है। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रपत्र में केवल आवेदक का नाम पता अंकित है तथा कमेटी के जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित किये गये हैं उनके नाम एवं निरीक्षण की तिथी भी अंकित नहीं हैं। इस प्रकार आवेदक को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन, नक्शा, कायम की गई फाईल एवं उसमें लिखित सम्पूर्ण कार्यवाही, आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र में दर्ज कार्यवाही, प्रपत्र सं. 22 की सम्पूर्ण कार्यवाही, शपथपत्र



उसमें दर्ज तिथियों को वास्तविक रूप से नहीं की जाकर एक साथ पुरानी तिथी में की गई हैं जो स्पष्टतया अवैध पट्टा जारी करने हेतु गलत ढंग से सम्पन्न की गई हैं। ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के अन्तर्गत नियमों एवं आज्ञापक प्रावधानों की किसी प्रकार से अनुपालना नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा सं. 41 दिनांक 20.07.2009 एवं इस निस्बत की गई समस्त कार्यवाही को अशुद्ध, अवैध व अनुचित करार दिया जाकर निरस्त फरमावे।

4. अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा निगरानी याचिका में उल्लेखित भूखण्ड के नाप व पडौस अप्रार्थी सं. 2 के पट्टाशुदा भूखण्ड के नाप व पडौस से भिन्न हैं। वादग्रस्त भूखण्ड जयन्तीलाल पुत्र छोगालाल के पट्टाशुदा भूखण्ड का भाग न होकर ग्राम पंचायत सिवाना के स्वामित्व की आबादी भूमि में आता है जिस पर अप्रार्थी सं. 2 अरविन्द कुमार का पैतृक स्वामित्व व आधिपत्य होने के कारण ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पुराने परिसर का विनियमितीकरण कर पुरीक्षणाधीन पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 के दादा सूरजकरण कभी भी जयन्तीलाल के किरायेदार नहीं रहे हैं और न ही उन्हें कभी किराये का भुगतान किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा इस निगरानी प्रार्थना-पत्र में मनगढ़त एवं बेबुनियाद तथ्य अंकित किये गये हैं। जयन्तीलाल द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के दादा सूरजकरण पर जो किरायेदारी से सम्बन्धित वाद सिविल न्यायालय में दायर किये गये थे वह सब खारिज हुए हैं। इस प्रकार सिविल न्यायालय द्वारा न तो जयन्तीलाल को परिसर का मालिक और न ही सूरजकरण को किरायेदार माना है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 व उसके पूर्वजों के बीच वादग्रस्त भूखण्ड को लेकर स्वामित्व का मुद्दा विवादित है और उसका निर्णय सिविल वाद के जरिये एक बार हो चुका है ऐसी स्थिति में पुनः उसी सिविल विवाद को पुनरीक्षण याचिका के



kon  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

जरिये विवादित किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। वादग्रस्त भूमि व्यवसायिक नहीं होकर अप्रार्थी सं. 2 व उसके परिवार की आवासीय भूमि पीढियों से रहवासीय है। ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 141 से 168 तक समस्त प्रावधानों की पालना करते हुए विधिवत तरीके से आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा आलौच्य पट्टा दिनांक 20.07.2009 को जारी किया गया है जिसके विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रार्थना-पत्र करीब 8-9 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो मयाद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका मय खर्चा खारिज फरमाई जावें।

5. हमने प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि विवादित भूखण्ड प्रार्थीगण के खरीदशुदा स्वामित्व का है जिसका आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्यों की जांच एवं परीक्षण नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा परिसर का सही मौका निरीक्षण नहीं किया तथा प्रार्थीगण को नोटिस व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसके अभाव में प्रार्थीगण के स्वामित्व के परिसर का आलौच्य पट्टा जारी करने की पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही दूषित होने से आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त योग्य है। इस संबंध में ग्राम पंचायत के अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता है कि अप्रार्थी सं. 2 ने दिनांक 05.07.1995 को सरपंच, ग्राम पंचायत सिवाना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आबादी में अपने कब्जाशुदा भूखण्ड पर रहवासीय मकान होना बताते हुए उसका पट्टा जारी करने का निवेदन किया। इस पर पत्रावली संधारित की जाकर दिनांक 05.07.1995 को आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की आदेशिका जारी हुई है जिस पर किसी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इसके पश्चात



दिनांक 20.06.2009 पंचायत प्रस्ताव सं. 2 के अनुसार 15 दिन का नोटिस जारी करने एवं मौका कमेटी से मौका निरीक्षण कर राज0 पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत मौका रिपोर्ट व आपत्ति सहित आगामी बैठक में पेश होने की आदेशिका जारी हुई हैं। इसके पश्चात बिना कोई दिनांक अंकित किये ही आदेशिका अंकित की गई हैं जिसमें अंकित किया गया हैं कि—

“15 दिन गुजरने के बाद कोई आपत्ति कार्यालय हाजा में पेश नहीं हुई हैं। आवेदक के मकान/बाड़ा मौका कमेटी द्वारा अवलोकन किया जो करीब 50-60 वर्ष पुराना व नक्शे के अनुसार कुल 800 वर्गफुट क्षेत्र का हैं। मौका रिपोर्ट अनुसार किसी प्रकार का विवाद व रास्ता इत्यादि की कोई दुविधा नहीं है, मौका कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम पंचायत नियम 157 के तहत पुरानी आबादी के पुराने मकान बने होने के कारण पट्टा जारी करने की सिफारिश संलग्न हैं। राजस्थान पंचायतीराज नियम 157 के तहत प्रार्थी को सदन सदस्यों से विचार विमर्श कर बैठक के प्रस्ताव संख्या ... दिनांक 06.07.2009 में पट्टा जारी करने की सिफारिश की हैं।”

आज्ञाओं की सूची में उल्लेखित उक्त आदेशिका के संबंध में मौका निरीक्षण प्रपत्र का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि इस प्रपत्र में आवेदक अरविन्द कुमार का नाम, पिता का नाम एवं निवास के अलावा कोई विवरण अंकित नहीं हैं तथा सम्पूर्ण प्रपत्र रिक्त हैं। इस निरीक्षण प्रपत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम व वार्ड सं. इत्यादि का भी उल्लेख नहीं हैं। इसके अलावा जो सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया हैं उसका प्रकाशन करने सम्बन्धी कोई विवरण पुस्त पर अंकित नहीं किया गया हैं कि इस प्रपत्र को सम्बन्धित स्थल एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में चस्पा किया गया हों। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज



lon  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत आलौच्य पट्टा जारी किया गया है जिसके अन्तर्गत पुराने गृहों/कब्जाशुदा मकानों का विनियमितीकरण किया जाता है। इस प्रकरण में आवेदक के आवेदन, पडौसियों के बयानों में प्लॉट/भूखण्ड बताया गया है। इस न्यायालय द्वारा तहसीलदार सिवाना से ली गई मौका रिपोर्ट में मौके पर दुकाने बनी हुई बताई गई हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में सम्पूर्ण प्रक्रिया पुराने निवास गृहों के नियमितीकरण बाबत की गई है जबकि मौके पर व्यवसायिक परिसर निर्मित होना पाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की कोई विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना रेकॉर्ड पर नहीं है। जहां तक अप्रार्थी सं. 2 द्वारा इस परिसर को अपना पुश्तैनी होना ग्राम पंचायत के समक्ष प्रकट किया है, इसके समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि अप्रार्थी की ओर से गवाहान मदरूपचन्द सुराणा व वीरमाराम द्वारा निष्पादित शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर विवादित परिसर का आलौच्य पट्टा विलेख जारी किया गया है। उभय पक्षकारान की ओर से विभिन्न सिविल न्यायालयों में विचारित सिविल वादों एवं उनमें पारित निर्णयों का उल्लेख अपने कथनों में किया गया है किन्तु इस निगरानी प्रकरण में इन पर विवेचन एवं किसी प्रकार का निष्कर्ष दिया जाना इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 में केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाहियों की जांच एवं परीक्षण उपरांत उस पर विधिसम्मत विनिश्चय किये जाने का प्रावधान है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने में प्रक्रियात्मक अनियमितता, स्वामित्व व कब्जे की जांच के बिना किया जाना पाया जाता है। इस आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।



*Lon*  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का यह निगरानी प्रार्थना पत्र राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच उपरांत स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा अप्रार्थी सं. 2 अरविन्द कुमार के पक्ष में आलौच्य पट्टा सं. 41 दिनांक 20.07.2009 जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं होने से अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*low*  
( लोक बंधु )  
जिला कलेक्टर, बाड़मेर  
जिला कलेक्टर  
बाड़मेर